संख्या 970/2012/55(120)/xxvii(8)/01

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) दिनांक : देहरादून : 6 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012

विषय : **उपखनिजों के सम्बन्ध में सीजन वर्ष 2012–2013 एवं 2013–2014 के लिये समाधान योजना लागू किये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2437 दिनांक 04 सितम्बर, 2012 का सन्दर्भ लेना चाहें। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों की सीमा में नदियों से खनन/खदान/चुगान करके उपखनिजों (रेता, मोरंग, बजरी, बोल्डर, दड़ा आदि) की बिक्री करने वाली व्यापारिक इकाइयों/ प्रतिष्ठानों के लिये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अर्न्तगत उपखनिजों की बिक्री पर देय कर के विकल्प के रूप में वर्ष 2012–2013 (सीजन वर्ष 01 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013) एवं वर्ष 2013–2014 (सीजन वर्ष 01 अक्टूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014) के लिये समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस योजना को लागू किये जाने विषयक शासन के दिशा निर्देश, विकल्प प्रार्थना पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र के प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि समाधान योजना के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों, कार्यदायी इकाइयों/संस्थाओं, कर अधिवक्ता संघों व करदाताओं को जारी करने का कष्ट करें एवं योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

12483
7-11-12

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

.......वि०.........अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

Vividh Patra/Commissiner ko Presit/DT